कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सीकर

(निदेशालय विस्तार शिक्षा)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर सीकर (राजस्थान),

क्रमांक/वरि. वै. एवं अध्यक्ष/के.वी.के./निविदा/2025/71—73 **दिनॉक : 03.06.2025**

खुली निविदा सूचना

1. कार्य का नाम व क्रमांक	**भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था**
2. कार्य की अनुमानित अवधि	वित्तिय वर्ष 2025—26
3. निविदा फार्म का मूल्य	500/— रूपये
4. निविदा लागत (राशि)	**अनुमानित लागत 4.90 लाख रू.**
5. धरोहर राशि	अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत
6. कार्य की अनुमानित मात्रा	**संस्थागत व असंस्थागत प्रशिक्षणों में भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु लगभग 4.90 लाख रू.**
7. प्रपत्र क्रय करने की दिनांक व समय	03.06.2025 से 18.06.2025 तक
8. प्रपत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि व समय	18.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे तक
9. निविदा खोलने की दिनांक व समय	18.06.2025 को दोपहर 12.30 बजे
10. पत्राचार हेतु पता—वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर	मोबाईल नं0— 9465170527 **Email:- pc.kvk.fatehpur@sknau.ac.in**

निविदा की शर्तेः—

1	**निविदादाता को कुल निविदा लागत की 5% राशि धरोहर के रूप में जमा करानी होगी। जिसमें निविदा प्रस्तुत करते समय 2% राशि बिड सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी व शेष 3% धरोहर राशि कार्यादेश मिलने के पश्चात 7 दिवस मे जमा करवानी होगी। जो कि डी.डी./UPI/Cash के माध्यम से "Senior Scientist and Head, Bhartia Krishi Vigyan Kendra, Fatehpur" के पक्ष में देय होगी।**
2	यह निविदा निष्पादित वितीय वर्ष 2025—26 हेतु मान्य होगी तथा सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर 03 महीने तक बढाई जा सकेगी।
3.	प्रस्तावित निविदा सीलबन्द लिफाफे में जिसपर " **भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था**" लिखा हो को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर सीकर को प्रेषित होनी चाहिए।
4.	*1. सीलबन्द एक लिफाफे तकनिकी रूप से समिलित करने हेतू निम्नांकित संलग्न दस्तावेज आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा को शामिल नहीं किया जायेगा। जिसके उपर बाहर तकनीकी दस्तावेज लिखा जाये।* *2. फर्म का Medical, Health and Family welfare department (Food safety and Standard Authority of India) के प्रमाण पत्र की फोटोप्रति* *3. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति* *4. Rajasthan Shops and commercial Establishment certificate* *5. फर्म प्रोपराईटर के आधार कार्ड की प्रति तथा पैनकार्ड की छायाप्रति* *6. निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर सहित।* *7. बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में घोषणा पत्र (Declaration)* *8. अन्य आवश्यक दस्तावेज यदि हो यथा अनुभव प्रमाण पत्र।* *9. सीलबन्द दुसरे लिफाफे मे वित्तिय रूप से समिलित करने हेतू निविदादाता द्वारा भरी गई दर का प्रपत्र परिशिष्ट सं0 1 अवश्य एवं अलग से रखा जावे। जिसके उपर बाहर वित्तिय दरें लिखा जावे।* *दोनो लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में बन्द कर कार्यालय मे प्रस्तुत किया जावें*
5.	*सफल निविदादाता को 50/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तो के तहत कार्य करने व स्वच्छ एवं ताजा भोजन बनाकर देने व कार्यरत श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।*

6.	अनुबंध अवधि के दौरान समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्य, गोष्ठी व बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों / व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय–समय पर दी जाती रहेगी।
7.	भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एग्मार्क) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली, सरसों (डबल रिफाईण्ड) का प्रयोग करना होगा।
8.	सब्जी ऋतु के अनुसार अलग–अलग प्रकार की व ताजा देनी होगी।
9.	भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
10.	भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
11.	भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविदिदाता की होगी।
12.	भोजन व्यवस्था/केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होंगे। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13.	भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
14.	उक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र फतेहपुर सीकर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
15.	निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GG & AR, TTPPA2012,वं RTPPR2013 के प्रावधानानुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार / फर्म की रहेगी।
16.	दर्शित कार्य ठेकेदार को कार्यालय के निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।
17.	ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।
18.	भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दषा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।
19.	उपायन व पारदर्षिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि संभव हो सकेगी।
20.	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैद्य लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
21.	कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग–अलग कार्यो के लिए पृथक–पृथक निविदादाता/ फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।
22.	सर्विस टैक्स /GST हेतु संबंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
23.	आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार / फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।
24.	किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृशि विष्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
25.	प्रस्तावित दर भरने से पूर्व भोजन मैन्यू ध्यानपूर्वक पढ़ ले किसी भी प्रकार की कांट–छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।
26.	भोजन सप्लाई की समस्त व्यवस्था केन्द्र की कमेटी के दिशा निर्देशन में करनी होगी व उनके संतुष्ट होने पर ही भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
27	खाद्य सामग्री सप्लाई करने वाली फर्म के पास खाद्यान्न सप्लाई लाईसेन्स एवं आयकर विभाग का पैन नम्बर होना अनिवार्य है। फोटोप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
28.	भोजन प्रशिक्षण स्थल पर मीनू के अनुसार ताजा भोजन बनाकर खिलाना होगा।
29.	भोजन बनाने एवं खिलाने, सफाई आदि समस्त सामग्री एवं कार्यो की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
30.	भोजन की निम्न गुणवत्ता के कारण यदि कोई प्रशिक्षणार्थी अस्वस्थ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
31.	बिल का भुगतान कोषालय द्वारा बिल पास होने पर किया जावेगा। अग्रिम के रूप में कुछ भी दिया नहीं जावेगा।
32.	लागत के हिसाब से प्रतिदिन का मीनू बनाना होगा।
33.	दो दिवसीय/ तीन दिवसीय/पॉच दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रतिदिन का मीनू अलग–अलग होगा।
34.	ठेके को किसी अन्य व्यक्ति के हस्तांतरित नहीं किया जावेगा, जिसके नाम ठेका है कार्य उसी व्यक्ति को करना होगा ।
35.	यह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को संचालन हेतु नहीं दिया जायेगा।
36.	भोजन आपूर्ति (भोजन बनाने) हेतु किसी भी प्रकार की सामग्री (भगोना, परात, गैस, सिलेण्डर इत्यादि) केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। उक्त सामग्री की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को ही करनी होगी।

37.	**भोजन केन्द्र के किसान घर में बनाना होगा। खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात् सफाई की व्यवस्था भी पार्टी निविदादाता को करनी होगी। कई बार केन्द्र से बाहर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें सीकर जिले मे कही भी कार्यक्रम होने पर निविदानुसार भोजन व नाश्ता आदि की व्यवस्था निर्धारित स्थान पर करने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।**
38.	कार्य की मात्रा/लागत सिर्फ अनुमानित है इसे आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है जिसमें निविदादाता को किसी प्रकार विवरण नही दिया जावेगा तथा कार्यालय की शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा।
39.	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेष प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक के लिए मान्य होगी। अनुबंध की अवधि कार्य संतोशजनक होने पर आपसी सहमति में अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
40.	किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

Pbdular

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

मैं .... उक्त शर्तो के अधीन रहते हुए भोजन व चाय नाश्ते की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए मैं पूर्ण रूप से बाध्य रहूँगा। इस हेतु मैं सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार मय मोहर

<u>निविदादाता द्वारा संस्थागत व असस्थांगत प्रशिक्षण में सप्लाई किये जाने वाले भोजन का विवरण एवं मेन्यू के अनुसार दरों का विवरण</u>

<u>वर्ष 2025–26</u>

वितीय निविदा प्रपत्र

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा दी गयी दरें (समस्त करो सहित)
1.	**चाय**	
2	**साधारण नाश्ता पैकेट** – समोसा/कचौडी + एक पीस मिठाई (70 ग्राम) + एक केला	
3	**स्पेशल नाश्ता पैकेट** – समोसा/कचौडी +दो पीस मिठाई+एक केला+ 30 ग्राम नमकीन मिक्सर + चिप्स	
4	**साधारण भोजन पैकेट**– एक सूखी सब्जी (मिक्स)+ पूडी/रोटी 08 नग +1 पीस मिठाई +अचार	
5	**साधारण खाना** – भरपेट पूडी/ रोटी + सूखी सब्जी +दाल + रायता + दो पीस मिठाई	
6	**स्पेशल खाना** – भरपेट दाल, बाटी, चूरमा जिसके साथ हरी मिर्च की सब्जी + कटे हुये नीम्बू + सलाद	
7	**स्पेशल खाना** – पूडी/ रोटी (चुपड़ी हुई) + मटर पनीर की सब्जी + दाल + चावल + रायता + दो तरह की मिठाई + सलाद	
8	मिनरल वाटर बोतल 200 मिलीलीटर	
	मिनरल वाटर बोतल 01 लीटर	
	मिनरल वाटर कैन 20 लीटर	

मैं निविदा की समस्त शर्तो से सहमत हूँ तथा मैं उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर व मोहर

मय पता

व मोबाईल नं0 सहित

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान वित नियन्त्रक महोदय, **SKNAU,** जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथी दिनांक 18.06.2025 को अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करावें।
2. श्रीमान निदेशक महोदय, **DEE, SKNAU,** जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि निविदा खोलने की निर्धारित तिथी दिनांक 18.06.2025 को अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करावें।
3. श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय, **CIMCA,SKNAU,** जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि इस निविदा प्रपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट व राज्य सरकार के पोर्टल **spp.rajasthan.gov.in** पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष